न्यायालय रामायन राम, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, तृतीय, सीवान

मैरवा थाना काण्ड सं. 126/2020

सत्र वाद सं. 167/2020

1. संदीप चौहान वगैरह ..... आवेदक

वनाम्

2. बिहार सरकार ..... विपक्षी

आदेश

पश्चात्
02.02.2020

मैरवा थाना काण्ड सं. 126/2020 अन्तर्गत धारा 302, 201,120(B)/34 भा.द.वि. में काराधीन अभियुक्त धनंजय सहनी की ओर से दाखिल जमानत आवेदन दिनांक 18.01.2021 पर बचाव पक्ष विद्वान अधिवक्ता तथा लोक अभियोजक को सुना गया।

अभिलेख तथा काण्ड दैनिकी का अवलोकन किया।

प्राथमिकी के अनुसार सूचक जितेन्द्र शर्मा का मुख्य आरोप है कि दिनांक 27.04.2020 को उनके पुत्र विशाल शर्मा को उसका दोस्त धनंजय सहनी अपने साथ बुलाकर शौच के लिए खेत की ओर ले गया और आधा घंटा बाद गॉव में हल्ला हुआ कि विशाल शर्मा की हत्या कर खेत में फेंका गया है। हल्ला पर सूचक अपनी पत्नी और बच्चों के साथ खेत में गया तो देखा कि उसके बेटे विशाल शर्मा का शव पड़ा था। शव के उपर धारदार हथियार से गर्दन काटने एवं बॉयें कान के नीचे गहरा कटा निशान था, थोड़ी देर के बाद पुलिस आई और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दी। सूचक के अनुसार धनंजय सहनी अपने साथियों के साथ मिलकर विशाल शर्मा की हत्या कर शव को गेहूँ की खेत में छुपा दिया।

आवेदक अभियुक्त धनंजय सहनी के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि अभियुक्तगण निर्दोष है। इन्हें झूठा फंसाया गया है। इनका यह भी तर्क है कि आवेदक अभियुक्त को इस वाद के सूचक जितेन्द्र शर्मा के लिखित बयान पर अभियुक्त बनाया गया है। साथ आपराधिक षड्यंत्र के तहत महातम चौधरी के कहने पर अभियुक्त बनाया गया है। महातम चौधरी के साथ आवेदक अभियुक्त का जमीनी विवाद है और आपसी वैमनस्यता भी है तथा आवेदक अभियुक्त 30.04.2020 से काराधीन है। इनके विरुद्ध इस काण्ड में संलिप्त होने का विधिक साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। अतः जमानत पर आवेदक अभियुक्त को मुक्त होने का निवेदन करते हैं।

दूसरी तरफ अपर लोक अभिययोजक द्वारा जमानत आवेदन का विरोध करते हुए तर्क दिया है कि आवेदक/अभियुक्त प्राथमिकी अभियुक्त है, प्राथमिकी में सूचक ने अपने पुत्र विशाल शर्मा की हत्या में धनंजय

सहनी एवं उनके साथियों द्वारा काण्ड किये जाने की बात कही है। सूचक द्वारा फर्दबयान में यह भी कहा गया है कि आवेदक अभियुक्त ने मेरे बेटे विशाल शर्मा को अपने साथ बुलाकर शौच के लिए खेत की ओर ले गया, करीब आधा घंटा बाद जब सूचक अपने घर पर था तो गांव में हल्ला हुआ कि विशाल शर्मा को हत्या कर खेत में फेंका गया है। अनुसंधान के क्रम में काण्ड दैनिकी की कंडिका सं. 02,07,08,09 एवं 10 में भी साक्षियों ने भी प्राथमिकी के कथन के समर्थन में बयान दिया है। इनका यह भी तर्क है कि नामजद अभियुक्त धनंजय सहनी ने अपने दोष स्वीकृति बयान में मृतक विशाल शर्मा के अवैध संबंध को लेकर हत्या करने की बात कहा है। आगे यह भी कहा है कि वह मुन्ना मियॉ तथा संदीप के साथ मिलकर यह कांड किया है। अभियोजन का यह भी कहना है कि काण्ड में उपयोग किया गया कुल्हाड़ी गेहूँ के खेत से बरामद किया गया है, जिसकी जप्ती सूची कांड दैनिकी की कंडिका 19 में उपलब्ध है। इस तरह अभियुक्त का कांड में संलिप्तता का साक्ष्य उपलब्ध है।

उभय पक्ष को सुना। अभिलेख तथा वाद दैनिकी के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक प्राथमिकी अभियुक्त है, परन्तु अनुसंधान के दौरान सह अभियुक्त धनंजय सहनी की भाभी से मृतक का अवैध संबंध होने के कारण साथियों के साथ मिलकर कांड कारित किया है। हत्या जैसे जघन्य अपराध करते समय तेज धारदार हथियार से गर्दन काटकर हत्या कर दी है। धनंजय सहनी के निशानदेही पर इस घटना में प्रयुक्त कुल्हाड़ी बरामद हुआ है। मृतक के मृत्यु समीक्षा प्रतिवेदन में भी मृतक का धारदार हथियार से गर्दन काटने एवं बायें कान के नीचे कटा निशान होना पाया गया है। अभिलेख पर मृतक का अंत्य परीक्षण प्रतिवेदन (पोस्टमार्टम रिपोर्ट) उपलब्ध है। ऐसी स्थिति में आवेदक/अभियुक्त धनंजय सहनी का इस कांड में संलिप्तता के संबंध में उपलब्ध साक्ष्य एवं जघन्य अपराध की गंभीरता को देखते हुए इनको जमानत पर मुक्त करना न्यायोचित नहीं समझा जाता है।

अतः काराधीन अभियुक्त धनंजय सहनी की ओर से दाखिल जमानत आवेदन अस्वीक्त किया जाता है।

(रामायन राम)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, तृतीय
व्यवहार न्यायालय, सीवान।
दिनांक 02.02.2020